न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री नवनीत कुमार, आर. ए. एस.

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 23 / 2025 / बाड़मेर

अपीलांट	रेस्पोडेंटगण
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा जिला बालोतरा	1. चौथाराम पुत्र श्री दुर्गाराम के वारिसान 1 / 1ताराराम पुत्र श्री चौथाराम 2. लालाराम पुत्र श्री दुर्गाराम के वारिसान 2 / 1श्रीमती भूरी धर्मपत्नी श्री लालाराम 2 / 2दानाराम पुत्र श्री लालाराम 2 / 3हेमाराम पुत्र श्री लालाराम 2 / 4नेमाराम पुत्र श्री लालाराम जाति मेघवाल निवासी साजियाली तहसील पचपदरा जिला बालोतरा 3. दानाराम पुत्र श्री रूपाराम के वारिसान 3 / 1हेमाराम पुत्र श्री दानाराम 3 / 2मांगीलाल पुत्र श्री दानाराम 3 / 3केसी पुत्री श्री दानाराम 3 / 4कालु पुत्र श्री दानाराम 3 / 5 बलु पुत्री श्री दानाराम 4. प्रताप पुत्र श्री फौजा 5. थाना पुत्र फौजा जाति भाट निवासी पचपदरा तहसील पचपदरा जिला बालोतरा 6. दुर्गाराम पुत्र श्री खेताराम के वारिसान

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

	6/1गोगाराम पुत्र श्री दुर्गाराम 6/2रावताराम पुत्र श्री दुर्गाराम 6/3लखमाराम पुत्र श्री दुर्गाराम 6/4पदमाराम पुत्र श्री दुर्गाराम 6/5भोपाराम पुत्र श्री दुर्गाराम 6/6श्रीमती धुड़ी धर्मपत्नी श्री दुर्गाराम जाति रबारी निवासी मण्डापुरा तहसील पचपदरा जिला बालोतरा

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा द्वारा राजस्व वाद संख्या 05/2024 (पुरानेवाद संख्या 302/1991) बउनवान चौथाराम के वारिसान वगैरह बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा में पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 04.09.2024 के विरूद्व पेश हुई।

उपस्थिति

1. राजकीय अभिभाषक श्री हरीराम चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री अचलाराम थोरी उत्तरदाता संख्या 1/1 से 2/4 की ओर से।
3. वकील श्री जूंजाराम पटेल उत्तरदाता संख्या 3/1 से 3/5 की ओर से।
4. वकील श्री भूपेन्द्र गहलोत उत्तरदाता संख्या 6/1 से 6/6 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—09.06.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि उत्तरदातागण संख्या 01 व 02 की ओर से प्रस्तुत वाद जो सहायक कलक्टर बालोतरा द्वारा दिनांक 22.03.1993 को खारिज कर दिया जिसको अपीलीय न्यायालय श्री ने दिनांक 21.03.2006 को अपास्त कर उभयपक्ष को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान कर नये सिरे से निर्णय हेतु निर्देश के साथ लौटा दिया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, बालोतरा ने वाद दिनांक 31.10.2007 को डिक्री कर दिया। जिस पर पुनः अपीलीय

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

न्यायालय में अपील होने पर फिर अपीलीय न्यायालय ने दिनांक 12.11.2010 को अपील खारिज की गई। जिस पर द्वितीय अपील माननीय राजस्व मण्डल में पेश होने

पर माननीय राजस्व मण्डल ने दिनांक 25.01.2023 को दोनों अधीनस्थ न्यायालयें के निर्णयों को अपास्त कर प्रकरण/वाद रिमाण्ड किया कि जबाव दावा लिया जाकर दावे व जबाव दावे के आधार पर तनकीयात कायम की जाकर उभयपक्ष को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर नियमानुसार गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने निर्देश के तकरीबन एक वर्ष बाद अपीलाधीन वाद पत्र पुनः नये नम्बर पर दर्ज कर अपीलांट की बिना समुचित सुनवाई तामीली किये बिना वादीगण के दावा व प्रतिवादीगण के प्रतिदावा पर कोई पक्ष रखने का अवसर दिये बिना अपीलाधीन आलोच्य निर्णय व डिक्री पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांटस की अनुपस्थिति में एकतरफा पारित की गई। जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते वक्त विधि में दिये प्रावधानों, प्रक्रिया व तथ्यों सहित राजस्व नियमों से विपरीत जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राज्य सरकार के विरूद्ध वाद पेश करने से पूर्व धारा 80 सी पी सी के तहत राज्य प्रतिनिधि राज्य सचिव स्तर प्रतिनिधि जो जिला कलक्टर से निम्न नहीं हो सकता है को नोटिस देना आवश्यक है एवं नियत अवधि बीतने के बाद ही दावा व प्रतिदावा पेश किया जा सकता है। परन्तु इस प्रकरण में वाद पुनः दर्ज होने पर पूर्व में पेश खातेदारी घोषणा के दावा में अतिरिक्त दावा को प्रतिदावा के रूप में पेश करने से पूर्व इस आज्ञापक प्रावधान का कोई पालन नहीं किया गया न ही वाद पत्र संशोधित वाद पत्र/प्रतिवाद पत्र में राज्य प्रतिनिधि राज्य सचिव स्तर प्रतिनिधी जो जिला कलक्टर है को पक्षकार बनाया है न ही तत्कालीन जिला कलक्टर बाड़मेर या वर्तमान जिला कलक्टर बालोतरा को कोई सम्मन जारी कर उनका पक्ष जाना व रेकर्ड पर लिया है। वाद पत्र एवं प्रतिवादपत्र मुख्य रूप से प्रतिवादी संख्या 01/अपीलांट के विरूद्ध होने के बावजूद इनकी न तो कोई प्रति प्रतिवादी संख्या 01 को दी न ही कोई प्रतिवादी संख्या 01 का पक्ष जाना न ही कोई

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

पक्ष रखने का अवसर दिया, न ही वाद रिमाण्ड के बाद वाद नये नम्बर पर दर्ज करने के बाद उपस्थिति हेतु कोई पुनः नोटिस सम्मन दिया। अपीलांट की बिना समुचित तामीली किये बिना वादीगण के दावा व प्रतिवादीगण के प्रतिदावा पर कोई पक्ष रखने का अवसर दिये अपीलांट के प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध जाकर प्रतिवादीगण 01 का जबाबदावा का अवसर बंद कर एकपक्षीय रूप से तनकीयात कायम कर साक्ष्य व दस्तावेजों का परीक्षण व प्रतिपरीक्षण करवाये बिना पूर्व में पेश कोई भी दस्तावेज व साक्ष्य विधिक रूप से ग्राह्य नहीं किया जा सकता। न ही गवाहान से दस्तावेज प्रदर्शित करवाये एवं उस पर प्रति पक्ष का क्रॉस परीक्षण प्राप्त किये बिना उन्हें निर्णय में पढा जा सकता है, न ही ऐसे गवाह व दस्तावेजों का कोई औचित्य होता है। ऐसे एकमात्र गवाह के कथनों से अधीनस्थ न्यायालय ने गलत विवेचन कर अपीलांट के बिना उपस्थिति के ही अपीलाधीन आलोच्य निर्णय व डिक्री पारित की गई। प्रतिवाद पेश करने से पूर्व धारा 80 सी पी सी का नोटिस नहीं दिया गया न ही प्रतिवाद में धारा 80(2) सी पी सी का प्रार्थना–पत्र भी पेश नहीं किया गया है। जिसके अभाव में उक्त प्रतिदावा रेकर्ड पर लिये जाने व दर्ज किये जाने योग्य ही नहीं था। जिसका विधि में कोई महत्व नहीं है। वादीगण व प्रतिवादीगण का वादग्रस्त आराजी पर कभी भी कब्जा नहीं रहा है, बिना कब्जा की वास्तविक स्थिति जाने बिना कब्जा के एवं वादीगण व प्रतिवादीगण ने भी कोई कब्जा पाने का अनुतोष नहीं मांगा, कब्जा पाने के अनुतोष के बिना अनुतोष के बिना खातेदारी घोषणा का कोई वादाधिकार नहीं बनता है, इसलिए उक्त वाद पत्र आरम्भ से ही विधि से वर्जित रहा है तथा वादीगण व प्रतिवादीगण द्वारा कथित पेश दस्तावेज औचित्यहीन व महत्वहीन है। वाद को मेरिट पर देखने से पूर्व विधि के प्रश्न को देखा जाना होता है, उस पर निर्णय वाद विचारण से पूर्व लिया जाना अधीनस्थ न्यायालय के लिये आज्ञापक था। वाद के विचारण में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की पालना नहीं की गई है, न ही विधिक प्रावधानों की पालना की है। वाद में जिस प्रकार से निर्णय पारित करने में जल्दबाजी अधीनस्थ न्यायालय ने की है। विचारण न्यायालय की कार्यवाही सद्भाविक कतई नहीं रही है। वादग्रस्त भूमि सरकारी सिवायचक सेटलमेंट से दर्ज है, जिस पर वादी का दावा पूर्व हक से खातेदारी पाने हेतु पेश किया है, एवं प्रतिदावा व अतिरिक्त दावा उपयुक्त मंच पर कतई पेश नहीं किया गया है न ही उक्त वाद एवं प्रतिदावा व अतिरिक्त दावा लाने का पक्षकारों को कोई वादधिकार नहीं रहा है। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया, जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जावे।

वकील रेस्पोडेंट संख्या 1/1 से 2/4 ने अपनी बहस करते हुए निवेदन किया कि वादीगण की खरीद शुदा भूमि ग्राम मंडापुरा (वर्तमान राजस्व ग्राम सिंधियों की ढाणी) की मूल खसरा संख्या 38 रकबा 91.17 बीघा व खसरा संख्या 39 रकबा 115.18 बीघा कुल रकबा 207.15 बीघा अवस्थित थी, उक्त वादग्रस्त आराजी वादीगण ने हक पूर्वाधिकारी चौथा व लाला पिसरान दुर्गाराम द्वारा तत्कालीन खातेदार भीमला पुत्र रतना कौम मेघवाल से जरिए रजिस्टर्ड बेचान पत्र दिनांक 11.09.1959 को खरीद की थी। उक्त बेचान पत्र के अनुरूप ही वादीगण के नाम नामांतकरण पारित हुआ। वक्त खरीद से वादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा था। रि-सेटलमेंट संवत 2024-30 के दौराने वादीगण की मूल खसरा संख्या 38 व 39 से नये खसरा संख्या 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 व 18 कायम हुए तथा वादीगण का रकबा 207.15 बीघा जरीब 165X165 फीट होने के कारण रकबा 135 बीघा खातेदारी इन्द्राज होनी चाहिए थी, लेकिन खातेदारी कम प्रदान किए जाने के कारण वादीगण द्वारा भू-प्रबंध अधिकारी जोधपुर क समक्ष उजरदारी पेश किए जाने पर आदेश दिनांक 30.11.1973 के वादी के खसरा संख्या 04 व 12 के बट्टा संख्या खसरा संख्या 04/1003 रकबा 50 बीघा व खसरा संख्या 12/1004 रकबा 20.07 बीघा भूमि खातेदारी प्रदान की गई, लेकिन प्रतिवादी संख्या 01 व सेटलमेंट अधिकारियों ने वादी के पक्ष में नामांतकरण पारित नहीं करवाया गया। प्रतिवादी संख्या 01 ने खसरा संख्या 04 व 12 को पड़त बताते हुए सिवायचक भूमि दर्ज कर बाद में प्रतिवादी संख्या 02 से 06 के हक पूर्वाधिकारियों को आवंटन कर दी गई, जबकि आवंटन भूमि पर वादीगण का ही कब्जा काश्त है। इस कारण वादीगण द्वारा खातेदारी घोषणा के लिए वाद पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 22.03.1993 को वादी का वाद खारिज किया गया। उक्त निर्णय के विरूद्ध वादीगण द्वारा माननीय न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन अपील प्राधिकारी बाड़मेर-जैसलमेर में प्रथम अपील पेश की गई, जो वाद सुनवाई निर्णय दिनांक 21.03.2006 के द्वारा अपील स्वीकार कर प्रकरण को पुनः सुनवाई के लिए रिमाण्ड किया। अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पुनः सुनवाई में दर्ज रजिस्टर होकर साक्ष्य गवाही करवाई गई तथा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 31.10.2007 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर खसरा संख्या 04 रकबा 50 बीघा व खसरा संख्या 12 रकबा 20.07 बीघा भूमि की वादीगण को खातेदारी अधिकारी प्राप्त हुई। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय से वादीगण की मूल रकबा के समान भूमि प्राप्त

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

हो गई। उक्त निर्णय से असंतुष्ट होकर प्रतिवादी पक्ष द्वारा प्रथम अपील माननीय न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर–जैसलमेर मुख्यालय जोधपुर में प्रस्तुत की गई, जो वाद सुनवाई निर्णय दिनांक 12.11.2010 के अपील खारिज की गई। उक्त निर्णय के विरूद्ध माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर बाद सुनवाई प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः सुनवाई के लिए रिमाण्ड हुआ। अपीलाधीन आराजी की रेकर्ड व मौका स्थिति भिन्नता होने के कारण प्रार्थीगण सांवलाराम वगैरह द्वारा तरमीम दुरस्ती करवाने बाबत आवेदन पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 27.01.2022 द्वारा अपीलाधीन आराजी की रेकर्ड व नक्शा दुरस्ती आदेश पारित हुआ, तब वादीगण को ज्ञात हुआ कि वादीगण की राजस्व रिकॉर्ड के मुताबिक मौके पर जमीन पूरी है तथा 50 बीघा भूमि अधिक हैं जो कि प्रतिवादी संख्या 02 से 06 के हक पूर्वाधिकारी की है, जबकि तत्समय 50 बीघा अधिक भूमि का राजस्व रेकर्ड में अंकन नहीं होने के कारण पक्षकारान के मध्य विवाद की स्थिति पैदा हुई, जबकि तत्समय रेकर्ड एवं मौका अनुसार रिकॉर्ड संधारित होता तो पक्षकार के मध्य विवाद पैदा ही नहीं होता। लेकिन रिकॉर्ड संधारण व अद्यतन के अभाव के कारण विवाद लम्बे समय तक चलता रहा। अब पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है, क्योंकि वादीगण को अपनी खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं, जो मौके पर 50 बीघा अधिक भूमि है, जिसमें प्रतिवादी के हक हकूक निहित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते वक्त विधि द्वारा स्थापित संपूर्ण प्रक्रियागत कार्यवाही को पूर्ण पालन किया गया। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री से राज्य सरकार की कितनी भूमि कम हुई है हसतगत अपील में उल्लेखित नहीं है तथा राजकीय अभिभाषक अपनी बहस में स्पष्ट भी नहीं कर पाए। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री से राज्य सरकार की एक इंच भूमि कम भी नहीं की गई। हस्तगत प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय पारित किया गया। हस्तगत वाद का निर्णय होने से पक्षकारों की लंबी कानूनी लड़ाई का अंत होकर पक्षकारों के मध्य न्याय हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करते वक्त किसी प्रकार की कोई वैधानिक एवं तथ्यों की त्रुटि कारित नहीं की गई। अतः अपीलांट की अपील को खारिज फरमाया जावे।

उत्तरदाता संख्या 3/1 से 3/5 ने बहस करते हुए निवेदन किया कि वादीगण की मूल खसरा संख्या 38 व 39 कुल रकबा 207.15 बीघा भूमि आई हुई थी, जो वादी द्वारा तत्कालीन खातेदार भीमला पुत्र रतना से जरिए रजिस्ट्री खरीद की थी। रि–सेटलमेंट के समय पुराने रकबा 207.15 बीघा के स्थान पर नये रकबा

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अनुसार 133 बीघा के स्थान पर 50 बीघा भूमि कम दर्ज करते हुए खाता संख्या 01 में दायर की गई, तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 02 से 05 के हक पूर्वाधिकारियों को आवंटित की गई। द्वितीय सेटलमेंट अधिकारियों की भूल से वादी का रकबा कम दर्ज किया गया, जबकि वास्तव में वादी का सम्पूर्ण रकबा दर्ज होने के उपरांत भी 50 बीघा भूमि मौके पर अधिक थी, जो खाता संख्या 01 में दर्ज की गई और खाता संख्या 01 में से ही प्रतिवादी संख्या 02 से 05 के हक पूर्वाधिकारियों को जमीन आवंटन हुई थी। लेकिन रेकर्ड में भिन्नता की वजह से प्रतिवादी की खातेदारी समाप्त की गई। तत्पश्चात मूल खसरा संख्या 04 की मौका जांच होने पर स्थिति स्पष्ट हो गई कि मौके पर 50 बीघा भूमि अवस्थित है, लेकिन खाता संख्या 01 में अंकन नहीं है, जो तरमीम दुरस्ती का प्रकरण स्वीकार कर 50 बीघा भूमि को खाता संख्या 01 में इन्द्राज करते हुए खसरा संख्या 04 में रकबा दर्ज करने का आदेश दिया गया, जिसमें वर्तमान खसरा संख्या 1810/4 रकबा 12.06464 हैक्टेयर अवस्थित है। प्रतिवादी संख्या 02 के वारिसान का उक्त रकबे में से 23.10 बीघा भूमि पर कब्जा काश्त है। शेष रकबा 26.10 काश्त बीघा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 5/1 से 5/6 का आवंटन मुताबिक कब्जा काश्त चला आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि सम्मत पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व समस्त पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के जरिये पक्षकारों के मध्य हुए न्याय से वंचित करने हेतु हस्तगत अपील गलत एवं मिथ्या तथ्यों के आधार पर अपील पेश की गई। अतः अपीलांट की अपील को खारिज फरमाया जावे।

उत्तरदाता संख्या 6/1 से 6/6 के अधिवक्ता ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलाधीन आराजी खसरा संख्या 04 बिला कब्जा मुमकिन सरकारी भूमि में से प्रतिवादी संख्या 5/1 से 5/6 के वालिद दुर्गाराम पुत्र खेताराम का कब्जा काश्त होने के आधार पर आवंटन कमेटी द्वारा दिनांक 24.01.1979 को रकबा 26.10 बीघा भूमि आवंटन की गई। वक्त आवंटन से आज दिनांक तक प्रतिवादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई। अतः अपीलांट की अपील को खारिज फरमाया जावे। उत्तरदाता/वादीगण द्वारा वाद पत्र में गलत इस्तदुआ के आधार पर प्रतिवादी की खातेदारी समाप्त कर वादीगण के नाम दर्ज/इन्द्राज की गई, जबकि वादीगण की ओर से वादग्रस्त भूमि के संबंध में तरमीम दुरस्ती का आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिसमें स्पष्ट हुआ कि खसरा

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

संख्या 04 का रकबा 104.15 बीघा है, जबकि मौके पर 154.15 बीघा भूमि है, जो मौके पर 50 बीघा अधिक है, जिसकी रेकर्ड दुरस्ती करते हुए अधिक रकबा 50 बीघा खाता संख्या 01 में दर्ज किया गया। जिसके वर्तमान खसरा संख्या 1814/04 कायम हुआ। प्रतिवादी का उक्त खसरान में 26.10 बीघा भूमि पर कब्जा काश्त है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाद समुचित सुनवाई विस्तृत निर्णय पारित किया गया। अतः अपीलांट की अपील को खारिज फरमाई जावे।

पत्रावली का अवलोकन व उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष की उपस्थिति में बहस सुनने के पश्चात अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। वादीगण की खरीद शुदा भूमि ग्राम मंडापुरा (वर्तमान राजस्व ग्राम सिंधियों की ढाणी) की मूल खसरा संख्या 38 रकबा 91.17 बीघा व खसरा संख्या 39 रकबा 115.18 बीघा कुल रकबा 207.15 बीघा अवस्थित थी, उक्त वादग्रस्त आराजी वादीगण ने हक पूर्वाधिकारी चौथा व लाला पिसरान दुर्गाराम द्वारा तत्कालीन खातेदार भीमला पुत्र रतना कौम मेघवाल से जरिए रजिस्टर्ड बेचान पत्र दिनांक 11.09.1959 को खरीद की थी। उक्त बेचान पत्र के अनुरूप ही वादीगण के नाम नामांतकरण पारित हुआ। वक्त खरीद से वादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा था। रि–सेटलमेंट संवत 2024–30 के दौराने वादीगण की मूल खसरा संख्या 38 व 39 से नये खसरा संख्या 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 व 18 कायम हुए तथा वादीगण का रकबा 207.15 बीघा जरीब 165X165 फीट होने के कारण रकबा 135 बीघा खातेदारी इन्द्राज होनी चाहिए थी, लेकिन खातेदारी कम प्रदान किए जाने के कारण वादीगण द्वारा भू–प्रबंध अधिकारी जोधपुर क समक्ष उजरदारी पेश किए जाने पर आदेश दिनांक 30.11.1973 के वादी के खसरा संख्या 04 व 12 के बट्टा संख्या खसरा संख्या 04/1003 रकबा 50 बीघा व खसरा संख्या 12/1004 रकबा 20.07 बीघा भूमि खातेदारी प्रदान की गई, लेकिन प्रतिवादी संख्या 01 व सेटलमेंट अधिकारियों ने वादी के पक्ष में नामांतकरण पारित नहीं करवाया गया। प्रदर्श 06 के अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा संख्या 04 में से प्रतिवादी संख्या 02 से 05 के हक पूर्वाधिकारियों को भूमि आवंटन थी। प्रतिवादीगण को आवंटित भूमि अपनी खातेदारी में होनो का अंदेशा होने के आधार पर वादी की ओर से वाद लाया गया। पत्रावली के संलग्न राजस्व आवेदन 338/2021 बउनवान सांवलाराम बनाम राजस्थान सरकार वगैरा आदेश दिनांक 27.01.2022 की छाया प्रति अवलोकन करने पर पाया कि खसरा संख्या 04 रकबा 104.15 बीघा का है, जबकि मौके पर जमीन 154.15 बीघा है अर्थात 50 बीघा भूमि अधिक भूमि बिना खसरान नम्बर दर्ज हुई। जिसको

(नरेन्द्र कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 27.01.2022 के द्वारा रिकॉर्ड दुरूस्ती करते हुए अधिक भूमि 50 बीघा का खाता संख्या 01 में दर्ज करने के आदेश दिए गए जिसेके खसरा संख्या 1810/4 रकबा 12.6464 हैक्टेयर कायम हुई। उक्त 50 बीघा भूमि में से प्रतिवादी संख्या 2/1 से 2/5 के हकपूर्वाधिकारी को रकबा 23.10 बीघा व प्रतिवादी संख्या 5/1 से 5/6 के वालिद दुर्गाराम को 26.10 बीघा आवंटन हुई थी लेकिन पूर्व में रिकॉर्ड अशुद्ध होने के कारण उक्त 50 बीघा का खतौनी में अंकन नहीं होने के कारण विवाद की स्थिति पैदा हुई। वर्तमान में रिकॉर्ड शुद्धि होने के कारण वादीगण का रिकॉर्ड मुताबिक मौके पर कब्जा काश्त है। प्रतिवादी का भी वक्त आवंटन शुदा मुताबिक कब्जा काश्त चला आ रहा है। विवादित आराजी का मुख्य विवाद बिंदु मौका स्थिति के अनुरूप रेकर्ड नहीं होने के कारण पक्षकार के मध्य इतने वर्षों तक विवाद चला, जबकि रिकॉर्ड दुरस्ती होने से वादी का रेकर्ड एवं मौका स्थिति समान हो गई। भू प्रबंध प्रक्रिया के दौरान गत बंदोबस्त के मुताबिक द्वितीय सेटलमेंट अधिकारियों को वादग्रस्त भूमि का रिकॉर्ड रिपीट किया जाना चाहिए था लेकिन द्वितीय सेटलमेंट अधिकारियों द्वारा वादग्रस्त भूमि वादीगण की खातेदारी में कम दर्ज किए जाने के कारण विवाद की स्थिति पैदा हुई, जबकि ऐसा करने का सेटलमेंट अधिकारियों को कोई अधिकार नहीं था। हस्तगत प्रकरण में 05 तनकीयात कायम की गई। 05 तनकीयात को साक्ष्य सबूत से वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा साबित किया गया। अपील में 80 सी पी सी के नोटिस को लेकर आपत्ति जाहिर की गई जबकि हस्तगत प्रकरण में 80 सी पी सी का नोटिस भिजवाया गया। अपील की विषयवस्तु में प्रकरण की प्रक्रियात्मक त्रुटि को दर्शाया गया है। जबकि संपूर्ण अपील में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के जरिये राज्य सरकार की भूमि कितनी कम हुई प्रतिवादी/अपीलांट स्पष्ट नही कर पाये। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं साक्ष्य सबूत के मुताबिक अपीलाधीन आराजी पर वादीगण एवं प्रतिवादी का ही कब्जा काश्त है। हस्तगत वाद एवं प्रतिवाद को मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से साबित किया गया। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री उभयपक्षकारान की बहस सुनने के पश्चात बाद समुचित सुनवाई विस्तृत विवेचन के पारित किया गया। प्रक्रिया न्याय की दासी है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते वक्त किसी प्रकार की कोई प्रक्रियात्मक त्रुटि रही है तो उसके लिए वादी एवं प्रतिवादीगण को मिले अपने खातेदारी अधिकारों से वंचित किया जाना विधि सम्मत नहीं है। हस्तगत प्रकरण में न्याय हुआ स्पष्ट दिख रहा है। हस्तगत प्रकरण का निस्तारण विधि में नियत प्रक्रिया का पूर्ण पालन करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं हो रही है। उपरोक्त विवेचन, तथ्यों के आलोक तथा मेरी सुविचारित राय में अपील खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा द्वारा राजस्व वाद संख्या 05/2024 (पुरानेवाद संख्या 302/1991) बउनवान चौथाराम के वारिसान वगैरह बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा में पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 04.09.2024 को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

9/6/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह निर्णय आज दिनांक 09.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

9/6/2025

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर